वर्तमान परिपेक्ष्य में बाल अपराध : एक सामाजिक समस्या

डॉ0 रवीन्द्र बंसल,
एसोसिएट्स प्रोफेसर, समाज षास्त्र,
बरेली कालेज, बरेली (उ0प्र0)

राम नरेष,
षोध छात्र, समाज षास्त्र विभाग,
बरेली कालेज, बरेली (उ0प्र0)

मानव जगत में प्रारम्भ से ही मनुश्य षान्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विकास को गतिषील रखने का इच्छुक रहा है, परन्तु समाज में निहित स्वार्थो का टकराव सदैव बाधक रहा है। समाज में प्रभुसत्ता कायम रखने के उद्देष्य से मानव ने समाज की संरचना तैयार की साथ ही मूल्यों को वैधानिकता प्रदान की। समाज में स्थापित विधान के उल्लंघन को अपराध की संज्ञा दी गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, आज का बाल अपचारी भविश्य में समाज के लिए घातक समस्या खड़ी करता है। बालक के षारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विकास किया जाय जिससे कि वे अपराध की ओर उन्मुख न हो। ब्राउण्ड ने लिखा है "अपराध प्रचलित रीतियों का उल्लंघन है" अपराध का सम्बन्ध सदैव तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और परिस्थितिजन्य माने जाते हैं और अपराधी आकस्मिक और पेषेवर होते है। सम्पूर्ण समाज के प्रत्येक कालों में अपराधी की आवृत्ति और आयाम तो बदले किन्तु निरन्तरता बनी रही। इसी प्रकार अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है। बाल अपराध (Juvenile Delinquency) बालकों द्वारा किये गये समाज विरोधी कार्य को ही बाल अपराध कहते हैं। कानून की दृश्टि से निष्चित आयु के बालक द्वारा सामाजिक नियमों और सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन ही बाल अपराध की सार्वभौमिक परिभाशा दे पाना सम्भव नही है, क्योंकि बाल अपराधी की आयु सीमा एवं अवधारणा भिन्न–भिन्न देषों में अलग–अलग हैं। भारत में बाल न्याय अधिनियम–1986 जो अक्टूबर 1987 को लागू किया गया, जिससे 7 से 16 वर्श का लड़का एवं 7 से 18 वर्श की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध किया गया हो जिसके लिये राज्य मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है, जैसे हत्या, घातक आक्रमण करता है, तो अपराधी माना जायेगा।

ई0 आर0 मावरर ने अपनी पुस्तक (DISORGANIZTION PERSONAL AND SOCIAL) में लिखा है कि बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जान–बूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुये समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है, जिससे उसका सम्बन्ध है। न्यूमेयर ने लिखा है कि "बाल अपराधी एक निष्चित आयु का वह व्यक्ति है, जिसने समाज विरोधी कार्य किया तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला हो। पारसंस ने बाल अपराध की व्यख्या आदर्ष विहीनता के आधार पर की है और बताया है कि "विपथगामी प्रवृत्तियों को कली बनने से पहले ही तोड़ देना चाहिए" अर्थात् बालकों को अपराधी बनने से पहले ही तोड़ देना चाहिए" अर्थात् बालकों को अपराधी बनने से पहले ही सुधार कर लेना चाहिए ताकि समाज को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाए और बालाकों को अपराधी रूग्ण भूमिका से बचाया जाये, जिससे समाज का सुदृढ़ सृजन हो सके।

मर्टन ने अप्रतिमानित/मानक षून्य सिद्धान्त के आधार पर बताया कि जब पर्यावरण के भीतर उपलब्ध संस्थागत साधनों और लक्ष्यों

को जिनको अपने परिपेक्ष्य में चाहा था लेकिन बीच में में कोई विसंगति रह जाती है तो बालक के अन्दर तनाव या कुण्ठा पैदा होती है और प्रतिभान टूटते है, विचलित व्यवहार का जन्म होता है, जिसे मर्टन बाल अपराध की संज्ञा दी। पैत्रकता तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर के सम्बन्ध में डुग्डेल (1877) तथा गोडार्ड (1915) में अध्ययन किया कि डुग्डेल ने बताया ज्यूक परिवारों के 1200 उत्तर वंषजों का पता लगाया जिसमें 140 अपराधी 60 चोर तथा 50 वैष्यावृत्ति करने वाले पाये गये। इस आधार पर निश्कर्श निकाला कि बालक अपराधी दोशपूर्ण वंष परम्परा के द्वारा एक संतति से दूसरी संतति में गुण सूत्र हस्तान्तरित होते हैं, जिसमें सामाजिक कारणों को षामिल नहीं किया गया।

गिरिराज षाह ने अपनी पुस्तक अपराध, कारण और निवारण (1985) उत्तर प्रदेष, बिहार एवं मध्य प्रदेष के अपराधियों का अध्ययन किया बताया है कि बालक बाल्यावस्था से दुश्यकृत्यों को करके एक जघन्य अपराधी बनता है, बालक के अन्दर अपराध के बीज बोये हुये होते हैं, जैसे–जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे ही अपराध के बीज प्रस्फुटित होते हैं और भविश्य में समाज के लिए अपराधी व्यक्ति तैयार हो जाता है।

अतः वर्तमान समय में बालक अपराधी व्यवहार परिवार एवं पड़ोसियों से सीखता है, जिस प्रकार से परिवार में मूल्य, प्रथाएँ, संस्कार एवं संस्कृति होगी उसी प्रकार से बालक का व्यवहार होगा और पड़ोसी कुसंगतिपूर्ण होगें तो जैसे–जुऑरी, षराबी, वैष्यावृत्ति बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार सीखेगा जो समाज के प्रतिकूल होगा। जो बालक को अपराधी बनाने का कार्य करेगा जिससे समाज में व्याधिकीय आयेगी। टूटे परिवार (BROKEN FAMILY) में माता–पिता में से एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाने पर, तलाक देने पर त्याग करने पर तथा जेल में होने से भी परिवार छिन्न–भिन्न हो जात हैं, इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत से परिवारों में पति–पत्नी में मन–मुटाव, मानसिक संघर्श एंव तनाव पाया जाता है, ये स्थितियाँ बाल अपराध को जन्म देती है। हीले और ब्रोनर ने षिकागो और बोस्टन षहर के 4000 अपराधी बालकों का अध्ययन करके बताया कि इनमें से आधे बालक नश्ट एवं टूटे परिवारों से आये सदरलैण्ड ने बताया कि 30ः से 60ः तक अपराधी नश्ट घर से आये।

– गरीबी भी बाल अपराधों को जन्म देती है, कहावत है बुभिक्षतं किंन न करोति पापं कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भूखा होगा क्यों न करे पाप क्योंकि भूख भौतिक है। भूख लगना एक स्वाभाविक गुण है भूख तृप्त करने के लिये कहीं न कहीं चोरी करनी ही पड़ेगी, जब समाज में बालक ऐसा करेगा तो समाज उसे अपराधी ठहरायेगा और गरीबी की स्थिति में माता–पिता बालक की आवष्यकतायें पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं। गरीबी के प्रभाव के कारण बालक अपराध करना सीख जाते है।

– मनोरंजन एवं अपराध के मध्य घनिश्ठ सम्बन्ध हैं। नगरों में अधिकांषता बालक तंग गलियों और मोहल्लों व गन्दी बस्तियों में रहते हैं, जहाँ खेलने के लिय न उचित स्थान है और न ही कोई माध्यम है। अपने घर से काफी दूर निकल जाते है। बालकों के आदतों के अनुसार भिन्न–भिन्न प्रकार की षैतानियाँ करते जाते हैं और ये षैतानियाँ उनके खेल का एक भाग बन जाती है।

– समाचार पत्र एवं अष्लील साहित्य का बाल अपराधियों से घनिश्ठ सम्बन्ध है। जबकि समाचार पत्रों में सिद्धहस्त अपराधियों के गुणगान बहुत ही

प्रभावषाली ढंग से किये जाते हैं, तो बालक उन्हें पढ़ता एवं देखता है तो उसकी अपराध में रूचि बढ़ जाती है। बालक अष्लील साहित्य पढ़कर एवं देख करके समाज में एक विसंगति को अंजाम देते हैं। दोशपूर्ण अनुषासन (DEFECTIVE DISCIPLINE) होने पर बालक परिवार एवं समाज की अवहेलना करने लगता है, इसलिए परिवार का नियंत्रण अधिक कमजोर एवं कठोर नहीं होना चाहिये। अधिक कठोर पारिवारिक नियंत्रण से बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास रूक जाता है और दबी हुई इच्छाओं के लिए अपराध करता है, जब परिवार का अंकुष ढीला होता है तो स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है।

– विद्यालय का अनुपयुक्त वातावरण होने पर बच्चों से अच्छा नागरिक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। विद्यालय ही बच्चों के लिए उचित सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करता है। षिक्षा का बच्चों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वातावरण का प्रभाव पड़ता है। स्कूल का वातावरण, अध्यापकों का व्यवहार, स्कूल के साथी छात्रों व अध्यापकों के साथ सम्बन्ध अध्यापकों की प्रभावहीनता, अध्यापक का घर में संघर्श उनकी असुरक्षा, बीमार एवं प्रषिक्षण, पाठ्यक्रम की कठोरता, मनोरंजन एवं आराम का अभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों के कोमल मस्तिश्क को प्रभावित कर उसे अपराधी या आयोग्य नागरिक बनाने में योग देते हैं और अषिक्षा भी अपराध को बढ़ावा देती है।

– पड़ोस और अपराधी क्षेत्र में निवास का भी बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वैष्याओं के अड्डे, जुआँरियों, चोरों, षराबियों और गुण्डों के पास निवास स्थान होने पर बच्चों के अपराधी होने के अधिक अवसर रहते हैं, क्योंकि बच्चों में अनुकरण और सुझाव ग्रहणषीलता अधिक होने के कारण अपराधी प्रवृत्तियों को सीखने की अधिक सम्भावना रहती है।

– औद्योगिकीकरण ने भी बाल अपराध को बढ़ावा देने में निम्न प्रकार से भूमिका निभाई है, जैसे– पारिवारिक विघटन, मकान की समस्या, यौन अनैतिकता, अस्वास्थ्य प्रद मनोरंजन, स्वास्थ्य की हीनता, जुआँ, गिरहकाटी को प्रोत्साहित करना, मदिरा का सेवन आदि बालकों को अपराध की ओर प्रोत्साहित करता है। बालक आंवारापन में बिना माँ–बाप की आज्ञा से घर से बाहर घूमता रहता है, गन्दी बस्तियों, रेलवे स्टेषन, सिनेमा हालों, पार्को तथा बाजारों में बिना उद्देष्य, जुआँ, षराब, भीख मांगना, भविश्य बताना इत्यादि जिससे बलाक अपराध की ओर उन्मुख रहता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

(1) प्रो0 राम आहुजा – सामाजिक समस्यायें, द्वितीय संस्करण (पूर्णतः संषोधित एवं परिवद्धित) रावत प्रकाषन जयपुर नई दिल्ली, पृश्ठ (340–362)

(2) प्रो0 राम आहुजा – विवेचनात्मक अपराध षास्त्र रावत प्रकाषन जयपुर एवं नई दिल्ली,

(3) कोहन अल्वर्ट – डिलीक्वेण्ट ब्याज–दा कल्चर आफ गैंग, दा फ्री प्रेस ग्लेन्को इलिनियाज–1955

(4) डॉ0 वी0एन0 सिंह– समाज षास्त्र, ज्ञानोदय प्रकाषन कानपुर, पृश्ठ (133–147)

(5) राम नरेष – बाल अपराधियों का समाज षास्त्रीय अध्ययन (लघुषोध) कानपुर के बालगृह के संदर्भ में पृश्ठ (1–100)

Copyright © 2017, Dr. Ravindra Bansal and Ram Naresh. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.